

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (एल-98/1989)/अलेसे-11/11808-8/8 दिनांक :- 04.03.2015

शुद्धि-पत्र

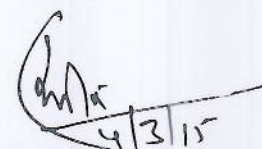
विभागीय आदेश क्रमांक एफ.3 (ख) (एल-98/1989)/अलेसे-11/11778-788 दिनांक 03.03.2015 के द्वारा श्री लोहडक्या मीणा, तत्कालीन कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सवाईमाधोपुर वर्तमान में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II (मेरिट नं 98/1989, लिंक नं. 3835) कार्यालय पंचायत समिति, खंडार (सवाईमाधोपुर) के निलम्बन आदेश जारी किये गये थे। उक्त आदेश में उल्लेखित अभियोजन स्वीकृति जारी किये जाने के विभागीय क्रमांक 16620 से 16623 तक के स्थान पर 11620 से 11623 पढा जावें।


(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (एल-98/1989)/अलेसे-11/11808-8/8 दिनांक :- 04.03.2015

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेन्ज भरतपुर, मुख्यालय, जयपुर को इस विभाग के पत्रांक 11789-793 दिनांक 03.03.2015 के क्रम में।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, खंडार (सवाईमाधोपुर)।
6. कोषाधिकारी, सवाईमाधोपुर।
7. उपकोषालय, गंगापुरसिटी।
8. सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सवाईमाधोपुर।
9. श्री लोहडक्या मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II, पंचायत समिति, खंडार (सवाईमाधोपुर)।
10. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक महोदय।
11. कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने/पी.आई.एस. इन्द्राज हेतु।
12. निजी पत्रावली/पदस्थापन सीट/रक्षित पत्रावली।
13. गोपनीय शाखा/जॉच शाखा।


4/3/15
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)